घर-घर
औषधि योजना

आज़ादी का
अमृत महोत्सव

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक प0 1(20)वन/2003 जयपुर, दिनांक :– 02.12.2021

परिपत्र

खनन हेतु जारी किये जाने वाले पट्टे को वन क्षेत्र जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा परिभाषित वन क्षेत्र, वैधानिक रूप से अधिसूचित वन क्षेत्र या राजकीय दस्तावेज में वन दर्ज भूमि चाहे उसका मालिकाना हक किसी का भी हो, की वस्तुस्थिति की जानकारी देने में वन विभाग से अनपेक्षित विलंब नहीं हो इसकी सुनिश्चितता के लिए विभागों द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही सुनिशिचित की जावे :–

1. खान विभाग के आवश्यकतानुसार 1:50000 अथवा अन्य स्केल की अध्यतन/नवीनतम जी0टी0 शीट/टोपोशीट जिसमें वन भूमि व ईको सेन्सिटिव जोन क्षेत्र की परिधि दर्शायी गयी हो को वन विभाग के उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जावे एवं जिसे स्थानीय अधिकारियों द्वारा समय–समय पर अध्यतन किया जावें। ईको सेन्सीटिव जोन क्षेत्र से तात्पर्य है कि भारत सरकार द्वारा वन्य जीव अभ्यारण्य/ राष्ट्रीय उद्यान से सीमाओं से अधिसूचित क्षेत्र अथवा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में निर्धारित वन्य जीव अभ्यारण्य/ राष्ट्रीय उद्यान से 10 किमी0 क्षेत्र।

2. जी0टी0 शीट/टोपोशीट के प्रमाणीकरण के उपरान्त उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी द्वारा गैर वन भूमि पर विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं के अन्तर्गत वृक्षारोपण के माध्यम से विकसित क्षेत्रों के एवं वन संरक्षण अधिनियम के अधीन क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण बाबत वन विभाग को आवंटित वन भूमि की सूचना खान विभाग को उपलब्ध कराई जावें।

3. खनिज अभियन्ता/ सहायक खनिज अभ्यिान्ता द्वारा खनन पट्टा हेतु भूमि चयन करतें समय वन विभाग द्वारा प्रमाणित जी.टी.शीट्स जिसमें वन भूमि एवं ईको सेन्सीटिव जोन दर्शायी गयी है व ऊपर वर्णित सूचियों को देखकर यह विनश्चियन किया जावे कि प्रस्तावित भू–स्थल माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा परिभाषित वन भूमि या ईको सेन्सिटिव जोन के 500 मीटर की परिधि में आता है या नहीं। प्रस्तावित भू–स्थल (खनन क्षेत्र) वन भूमि या ईको सेन्सिटिव जोन के 500 मीटर की परिधि में आता है तो प्रकरण वन विभाग को FMDSS के माध्यम से प्रस्तुत किये जावें।

4. उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी द्वारा विचाराधीन प्रतिवेदन का निर्धारित समय–सीमा 15 दिवस में अग्रेषित करना सुनिश्चित किया जावें। निर्धारित समय–सीमा में पालना करवाने के लिए संभागीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा समय–समय पर समीक्षा किया जावे।

5. उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता के साथ बैठक आयोजित की जावें जिसमें आवश्यकतानुसार संयुक्त निरीक्षण निश्चित किया जावे। मौका निरीक्षण करते समय प्रस्तावित क्षेत्र का जी.पी.एस. कोर्डीनेट तथा KML File के अनुसार विनिश्चयन सुनिश्चित किया जाने एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में उसका ब्यौरा दिया जावे।

OSD Hindi letter